

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II,
Dated 7th June, 2013 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS**

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Darlaghat

Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. Fts – (D) - /11/91-II dated 5th April, 2000 to declare Darlaghat as Wildlife Sanctuary comprising an area of 6 Sq.Km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, before issuance of final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013, passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Darlaghat Wildlife Sanctuary, out of total area of 6 sq. km, 5.33 sq. km area (comprising 11 villages, list attached as Annexure-I) is hereby denotified. Further the remaining area of 0.67 sq. km is to be converted into a Conservation Reserve;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 36A of the Act ibid is pleased to declare the remaining area of 0.67 sq. km of Darlaghat Wildlife Sanctuary as 'Darlaghat Conservation Reserve' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment;

The limits of the area of Darlaghat Conservation Reserve shall be as under:

Sr. No.	Name of Conservation Reserve.	Constituents District	Boundaries of Darlaghat Conservation Reserve
1.	Darlaghat Conservation Reserve	Solan	<p>NORTH: North boundary starts from BP No. 7 Bari DPF / 55 the boundary of Buila and Saryanj UPF the along BP No. 8,9,10,11 up to turning point of Jeepable road near village Dudli Pukhar and BP No. 12 of Bari DPF/55 inside.</p> <p>EAST: From the ridge upper side of Murari Dhank dividing Buila UPF and Bari DPF/55 and BP No 12 via point 1925 mtr. upto near Bara Deo temple.</p> <p>SOUTH: From upper side of camping site Bara Deo temple and path from temple to UPF Bari inside and UPF Gararnag via point 2069 mtr., boundary pillar No. 4 of Bari DPF upto boundary pillar No. 5 point 1951 mtrs.</p> <p>WEST: From BP No. 5 point 1951 mtr., the turning point of Jeepable road upto upper side of camping site and BP No. 7 of Bari DPF/55.</p> <p>Boundary as per scale 1:15000</p>

This area is situated within the Geo-coordinates North Lat.31°12'10"N & Long.76°53'04"E East Lat.31°12'10"N & Long.76°53'04"E, South Lat.31°11'36"N & Long.76°53'28"E West Lat.31°11'52"N & Long. 76°54'04"E which falls on Survey of India topo sheet No. 53A/16 /NE on scale 1:15000 and 53A/16 scale 1:50,000.

Area of Darlaghat Conservation Reserve 0.67 sq. km

By Order

Principal Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above

Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

* Detail of villages to be excluded from Darlaghat Conservation Reserve.

Sr.No.	Name of Village
1.	Buila
2.	Banan
3.	Susai
4.	Pather
5.	Kiyari
6.	Changer
7.	Sekhar
8.	Simoo
9.	Dareota
10	Damlana
11	Surajpur

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II दाड़लाघाट तारीख शिमला-2, 7 जून, 2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्या: एफ.टी.एस.(डी)-11/91-11 तारीख 5 अप्रैल, 2000 द्वारा 6.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र दाड़लाघाट को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ-I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदरज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1-2-2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य

जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और दाड़लाघाट वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप 6.00 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में से 5.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (जिसमें 11 गांव पड़ते हैं की सूची उपाबन्ध-1 के अनुसार) को एतद्वारा अभ्यारण्य से निकाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, शेष 0.67 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तित किया जाना है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए 0.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से दाड़लाघाट संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित करती हैं।

दाड़लाघाट संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का नाम	घटक जिला	दाड़लाघाट संरक्षण आरक्षित क्षेत्र सीमाएं
1	दाड़लाघाट	सोलन	<p>उत्तर : उत्तरी सीमा बाड़ी सीमा स्तम्भ-7 सीमांकित संरक्षित वन/55 से शुरू होती हुई बुईला और सरयांज अनारक्षित वन की सीमा के साथ सीमा स्तम्भ नम्बर 8,9,10 और 11 से गांव दुवली के नजदीक जीप योग्य रास्ते के मुड़ने वाले बिन्दु और बाड़ी सीमांकित संरक्षित वन/55 के भीतरी सीमा स्तम्भ नम्बर 12 तक।</p> <p>पूर्व: बुईला अनारक्षित वन व बाड़ी सीमांकित संरक्षित वन/55 को विभाजित करने वाली मुरारी ढांक की धार के साथ ऊपर की ओर सीमा स्तम्भ नम्बर 12 बिन्दु 1955 मी0 से बाड़ा देव मन्दिर तक।</p> <p>दक्षिण : शिविर स्थल के उपरी सीमा से बाड़ा देव मन्दिर और मन्दिर के रास्ते से बाड़ी अनारक्षित वन के अन्दर से और अनारक्षित वन गरड़नाग से बिन्दु 2069 मी0, बाड़ी सीमांकित संरक्षित</p>

			<p>वन के सीमा स्तम्भ नम्बर 4 से सीमा स्तम्भ नम्बर 5 बिन्दु 1951 तक ।</p> <p>पश्चिम: सीमा स्तम्भ नम्बर 5 बिन्दु 1951 मीटर जीप योग्य रास्ते के मुड़ाव बिन्दु से शिविर स्थल के ऊपर बाड़ी सीमांकित संरक्षित वन/55 के सीमा स्तम्भ नम्बर 7 तक ।</p> <p>सीमा पैमाना 1:15000 के अनुसार</p>
--	--	--	--

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति:- उत्तर अक्षांश 31° 12' 10" उत्तर और देशान्तर 76° 53' 04" पूर्व। पूर्व अक्षांश 31° 12' 10" उत्तर और देशान्तर 76° 53' 04" पूर्व। दक्षिण अक्षांश 31° 11' 36" उत्तर और देशान्तर 76° 53' 28" पूर्व और पश्चिम अक्षांश 31° 11' 52" उत्तर और देशान्तर 76° 54' 04" पूर्व। यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53ए/16/एन.ई (पैमाना 1:15,000) और 53ए/16, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है।

क्षेत्रफल: 0.67 वर्ग कि०मी०

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

दिनांक शिमला-2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/ वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु। कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियाँ छापी जावें।
12. गार्ड फाइल।

अवर सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार।